कार्यालय,मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

द्वितीय मंज़िल, निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

अपील/ए–28/रासूआ/34–1/दतिया/05

श्री अजय कुमार गुप्ता अपीलकर्ता
आर0पी0महेश्वरी का मकान,
लहारिया कम्पाउन्ड हुजराज रोड़,
लश्कर, ग्वालियर

विरूद्ध

मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सूचना
अधिकारी,
जिला पंचायत,
दतिया

आदेश
(दिनांक 5 अप्रैल 2006)

श्री अजय कुमार गुप्ता ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने एक आवेदन दिनांक 21 अक्टूबर 2005 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, दतिया को दिया था जिसमें उसने श्रीमती अनीता नाहर, सहायक शिक्षिका का दिनांक 01 फरवरी 97 से 30 अप्रैल 2005 तक की समस्त उपस्थिति हस्ताक्षर पंजी रजिस्टर तथा उस अवधि के समस्त प्रकार के दिये गये अवकाश आवेदन पत्र जिसमें मुख्यालय छोड़ने के आवेदन सहित दस्तावेज़ों की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये मांगा था। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी ने अपीलकर्ता का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 8 (1)(जी) के अंतर्गत इस आधार पर अस्वीकृत किया था कि यह जानकारी व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आती है इसका लोकहित अथवा लोक क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने एक अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत, दतिया जो अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी । श्रीमती अनीता नाहर जिसके संबंध में जानकारी चाही थी ने डॉक के द्वारा अपीलीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने अपने आवेदन पत्र में संबंधित जानकारी दिये जाने पर आपत्ति प्रस्तुत की है। उनका कहना था कि अपीलकर्ता के भाई श्री विजय कुमार गुप्ता के साथ उनका विवाह हुआ था उनके विवाह विच्छेद के संबंध में प्रकरण न्यायालय में दायर हुआ था जो न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है । अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी दिया जाना उचित नहीं है।

2. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील के बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा गया था। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रतिवेदन के साथ संबंधित रिकार्ड की फोटो कापी भी संलग्न की है। यह प्रकरण दिनांक 05.04.06 को मौखिक सुनवाई के लिये रखा गया था । इसमें अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा

अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को उपस्थित होने के लिये निर्देश दिये गये थे। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित नहीं हुए । इस प्रकरण में अपीलकर्ता को सुना गया और उनका

..2..

ध्यान अधिनियम की धारा 8(1)(जी) की ओर आकर्षित किया गया जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी लोक प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत सूचना देने के लिये बाध्य नहीं है, यदि उसका संबंध किसी लोक कार्यवाही या लोकहित से नहीं हो । इस प्रकरण में श्रीमती अनीता नाहर तृतीय पक्ष है और उन्होंने इस प्रकार की जानकारी देने के सम्बन्ध में लिखित आपत्ति की है । अपीलार्थी द्वारा मांगे गये दस्तावेज की प्रतिलिपि उनकी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है जिसका लोकहित या लोकक्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं है । अपीलकर्ता का यह कहना है कि उनके परिवार का और श्रीमती अनीता नाहर के परिवार से झगड़ा है जिसके सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालय में चल रहा है इस प्रकरण में इस जानकारी की आवश्यक्ता है और उसके लिये उन्होंने यह जानकारी मांगी है।

3. इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि जो जानकारी मांगी गयी है वह तृतीय पक्ष से संबंधित है और व्यक्तिगत है। लोक सूचना अधिकारी किसी की व्यक्तिगत जानकारी देने के लिये बाध्य नहीं हैं यदि उसमें लोकहित या लोक क्रियाकलाप सन्निहित नहीं हैं इस प्रकरण में अपीलकर्ता ने यह कहीं नहीं स्पष्ट किया है कि उसने जो जानकारी मांगी है वह लोकहित अथवा लोक क्रियाकलापों से संबंधित है उनका ध्यान मौखिक सुनवाई के समय अधिनियम की धारा 8(1)(जी) की ओर आकर्षित किया गया था उनसे यह पूछा गया था कि जो जानकारी उन्हें श्रीमती अनीता नाहर के संबंध में मांगी है वह किस प्रकार से लोक हित या लोक क्रियाकलापों से सम्बन्धित है। उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं बताया लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि उन्हें यह जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी है। जहां तक न्यायालय में जानकारी प्रस्तुत करने का संबंध है न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकरण से संबंधित जानकारी संबंधित कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है । इस प्रकरण में मांगी गयी जानकारी व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित है और जिस व्यक्ति से सम्बन्धित जानकारी मांगी गयी है उसने लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी इस प्रकार की जानकारी अधिनियम की धारा 8(1)(जी) के प्रावधानों के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यक्ता है। यह अपील निरस्त की जाती है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

05 अप्रैल 2006